अक्षर

72

शताब्दी स्मरण

भूपेन हजारिका
8 सितंबर 1926-5 नवंबर 2011

केलूचरण महापात्र
8 जनवरी 1926-7 अप्रैल 2004

गुलज़ार देहलवी
7 जुलाई 1926-12 जून 2020

गुलाब बाई
1926-2020

अलाव

विचारशीलता और बौद्धिक हस्तक्षेप का उपक्रम

सम्पादक
प्रियंवद

उप सम्पादक
जीवेश प्रभाकर

वर्ष : 25 - अंक : 72
दिसंबर-2025

यह अंक
https://notnul.com
पर उपलब्ध है ।

अकार की सदस्यता संबंधी जानकारी–

एक प्रति	- 100 /- रु.
वार्षिक सदस्यता (तीन अंक)	- 500/- रु.
संस्थागत वार्षिक सदस्यता (तीन अंक)	- 800/- रु.
तीन वर्ष की सदस्यता (व्यक्तिगत)	- 1200/- रु.
तीन वर्ष की सदस्यता (संस्थागत)	- 1800/- रु.
आजीवन सदस्यता (व्यक्तिगत)	- 3500/- रु.
संस्थागत आजीवन सदस्यता	- 5000/- रु.

(पत्रिका के समस्त सदस्यता शुल्क मे रजिस्टर्ड पार्सल का डाक खर्च सम्मिलित है।)

आप 'अकार' के लिये धन राशि अपने क्षेत्र के 'बैंक ऑफ बड़ौदा' की किसी भी ब्रांच में जमा करा सकते हैं। 'अकार' के खाते के ब्यौरे नीचे दिए जा रहे हैं। आप मनीष के मोबा. न. 9935058400 पर भी राशि भेज सकते हैं ।

Name of the Firm which Holds the bank Account :- AKAR PRAKASHAN
Bank Name :- Bank of Baroda, Bank Adress :- Panki, Site - 1, Kanpur - 208002.,
Bank Account No.- 09620200000089 MICR Code :- 208012012
IFSC Code :- BARB0PANKIX (0 is ZERO, NOT ALPHABETICAL O)

प्रकाशक : अकार प्रकाशन, B -204, रतन सैफ़ायर,16/70,सिविल लाइन्स कानपुर - 208001
ई मेल - akarprakashan@gmail.com

सम्पर्क :
प्रियंवद
B -204, रतन सैफ़ायर,,16/70, सिविल लाइन्स कानपुर - 208001
ई मेल - priyamvadd@gmail.com (मो.) 9839215236

जीवेश प्रभाकर :
69/2113, रोहिणीपुरम -2, रायपुर-492001 (छ.ग.)
ई मेल - jeeveshprabhakar@gmail.com मो. - 09425506574
आवरण :- जीवेश प्रभाकर
मुद्रक
सांखला प्रिंटर्स, विनायक शिखर, बीकानेर - 334003, फोनः - 0151-2242023
कम्पोज़िंग
विकल्प विमर्श, 87 निगम कॉलोनी, रायपुर - 492 001
सम्पादन व संचालन अवैतनिक । समस्त विवाद कानपुर न्याय क्षेत्र के अन्तर्गत होंगे । पत्रिका में प्रकाशित सामग्री के विचार सम्बन्धित लेखक के अपने हैं । सम्पादक अथवा प्रकाशक का उससे सहमत होना अनिवार्य नहीं है ।

अनुक्रम

1. **अकथ :** गहराते अंधेरों के चौदह दिन (3) - *प्रियंवद* 06

2. **आत्मकथांश :** मैं लौटूँगा : नेल्सन मंडेला - 24
अनुवाद : संजना कौल

3. **संस्मरण :** कृष्णनाथ : एक अलग सी ऊँचाई - *शेखर पाठक* 53

4. **कहानी** : बोरीबंदर की बुढ़िया : *रवीन्द्र रुक्मिणी पंढरीनाथ* : 66

5. **लेख :** श्याम बेनेगल या गोविन्द निहलानी...बहस अभी जारी है!
... स्मृतियों में सिनेमा-8 - *जितेन्द्र भाटिया* 78

6. **लेख :** एक प्रतिबंधित पुस्तक से कुछ तथ्य- *राजकुमार राकेश* 96

7. **रेखा चित्र :** वह सीधा मेरुदण्ड, फूटती उजास और काम में निमग्न एक कलाकार 113
- *शंपा शाह*

8. **कहानी** : दौनापान - *ऋषि गजपाल* 126

9. **कहानी :** पागलखाने से कुछ नोट्स - *प्रज्ञा विश्नोई* 133

10. **कविता :** *राही डूमरचीर* 137

11. **प्रसंग/अप्रसंग** : एक और पहलू - *प्रियंवद* 145

गहराते अंधेरों के चौदह दिन - (3)

(तीन अंकों में समाप्त लेख की आखरी कड़ी)

सचिवालय से फोन आने के बाद 25 जून की सुबह सिद्धार्थ शंकर रे इंदिरा गांधी के निवास पर पहुँचे। वह जिस कमरे में उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे, कुछ देर बाद वहाँ इंदिरा गांधी आयीं। वह हाथ में कुछ कागज़ लिए थीं। उन्होंने रे को बताया कि देश बहुत कठिनाइयों से गुजर रहा है। उन्होंने चारों ओर फैली अराजकता, गैर कानूनी व्यवहार और अनुशासनहीनता का उल्लेख किया, और फिर कहा कि वह चाहती हैं कि कुछ किया जाना चाहिए। इंदिरा गांधी इसके पहले भी कई मौकों पर रे से कह चुकी थीं कि देश को एक 'शॉक ट्रीटमेंट' की जरूरत है। कुछ करना जरूरी है और कुछ करने के लिए भी, उससे पहले यह जरूरी है कि उनके पास कुछ कठोर और सबको दिखायी देने वाली शक्तियाँ हों। 12 जून 1975 के फैसले के पहले भी इंदिरा गांधी उनसे देश को 'शॉक ट्रीटमेंट' देने की बात कर चुकी थीं। डी.पी.धर भी इंदिरा गांधी को ऐसा ही कुछ सुझाव पहले दे चुके थे। शायद इंदिरा गांधी के मन में डी.पी. की यह बात कहीं बैठी रह गयी थी। रे ने उनसे कहा कि कानून के दायरे में, कानून की मदद से ऐसी कुछ व्यवस्था बनायी जा सकती है। संविधान में ऐसे कुछ प्रावधान हैं। उन्होंने इंदिरा गांधी को बताया कि किस तरह पश्चिम बंगाल को उन्होंने कानून की सीमा और दायरे में रहते हुए ही संभाला था। इंदिरा गांधी हाथ में जो कागज़ लिए थीं, उनको उन्होंने पढ़ा। यह एक रिपोर्ट जैसी थी जिसमें उत्तर भारत के अनेक हिस्सों में कानून व्यवस्था बिगड़ने के या अराजकता के खतरों में पड़ने के संकेत थे। जब उनके बीच ये बातें हो रहीं थीं, तभी एक व्यक्ति आया। उसके हाथ में कोई कागज़ था। उसने इंदिरा गांधी